अधिसूचना

नई दिल्ली,12 मई, 2022

का.आ. 2211(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से एतद्वारा 900 मि.मी., 1050 मि.मी., 1200 मि.मी.,1400 मि.मी. और 1500 मि.मी. के केवल मानक स्वीप आकार वाले घरेलू समान प्रयोजनों के लिए 250 वोल्ट, 50 हट्र्ज तक के बिजली के छत के पंखों को विनिर्दिष्ट करती है और यह निदेश देती है कि ऐसे किसी भी उपकरण या उपकरणों का वर्ग जिसे निर्मित या बेचा या खरीदा जा रहा है या बिक्री के लिए आयात किया जाता है, के लेबल पर विवरण इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बिजली के छत के पंखों के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 10/1/2021–ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2211(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the electric ceiling type fans up to and including 250 V, 50 Hz for household similar purposes with only standard sweep sizes of 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1400 mm and 1500 mm and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022.

[F. No. 10/1/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.